रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042024-253494
CG-DL-E-01042024-253494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946
No. 83]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

[मामला संख्याः ए डी (ओआई) -07/2024]

विषय: चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''विटामिन-ए पामिटेट'' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/07//2024-डीजीटीआर.— 1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद ''नियमावली'' अथवा ''पाटनरोधी नियमावली'' के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, पीरामल फार्मा लिमिटेड (जिसे इसके बाद ''आवेदक'' अथवा ''याचिकाकर्ता'' के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद ''प्राधिकारी'' के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दाखिल की है जिसमें चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड (जिन्हें इसके बाद ''संबद्ध देश'' के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''विटामिन-ए पामिटेड'' (जिसे इसके बाद ''विचाराधीन उत्पाद'' अथवा ''पीयूसी'' अथवा ''संबद्ध वस्तु'' के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आयात के कारण हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद विटामिन- ए पामिटेट है, जिसमें विटामिन ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/ जीएम और विटामिन ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/ जीएम दोनों अपने सभी गुणों और रूपों में स्थायीकरण के साथ या इसके बिना शामिल हैं। हालांकि केवल सांद्रता में भिन्नता से, विटामिन-ए पामिटेट 1.7 एमआईयू / जीएम और विटामिन-ए पामिटेट 1.0 एमआईयू / जीएम एक ही अंतिम उपयोग के साथ उत्पाद के उप-प्रकार हैं और तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य भी हैं।

4. पीयूसी के दायरे में विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/जीएम शामिल नहीं है, जिसका उपयोग जानवरों के उपभोग के लिए किया जाता है और पीयूसी की तुलना में अलग-अलग अंतिम उपयोग हैं।

5. याचिकाकर्ता ने कहा है कि पीयूसी का उपयोग खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और दवा उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मध्यवर्ती उत्पादों में किया जाता है। भारत में संबंधित वस्तुओं का आयात सामान्यत: अधिनियम की अनुसूची-I की टैरिफ मद 29362100 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, पीयूसी का आयात टैरिफ मदों 29362290, 29362800, 29369000, 29362690 और अधिनियम की अनुसूची-I के 29362990 के अंतर्गत भी किया गया है। उत्पाद का सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. वर्तमान जांच के पक्ष विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू होने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (औचित्य के साथ), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के समान वस्तु हैं। यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के साथ तुलनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित संब्द्ध वस्तुओं के लिए 'समान वस्तु' माना जाता है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

8. आवेदन पीरामल फार्मा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसने पीओआई के दौरान न तो किसी भी संबद्ध देश या किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही यह संबंद्ध देशों के किसी निर्यातक और भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से संबंधित है।

9. रिकॉर्ड में दी गई जानकारी से, आवेदक भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा है। तदनुसार, आवेदक प्रथम दृष्टया एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 2(बी) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है, और याचिका प्रथम दृष्टया एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकता को पूरा करती है।

घ. संबद्ध देश

10. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड हैं।

ङ. जांच की अवधि

11. प्राधिकारी ने जांच की अवधि ("पी ओ आई") के रूप में 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2023 (12 माह) की अवधि पर विचार किया है । क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल,2020 से 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 और जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित डंपिंग का आधार

क. सामान्य मूल्य चीन जन. गण.

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दिखाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वे सामान्य मूल्य के उद्देश्य के लिए कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए, आवेदक ने सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर उत्पादन की लागत का विधिवत समायोजन करके और तर्कसंगत मार्जिन के साथ चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है । प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार कर लिया है।

ख*. सामान्य मूल्य यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड*

13. आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के घरेलू बाजारों में संबद्ध उत्पाद की कीमत के प्रमाण प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। हालांकि, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के घरेलू बाजारों में कोई उचित, प्रामाणिक सौदा-वार बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं था। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि यह यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड से निर्यात किए जाने पर संबद्ध वस्तुओं की प्रतिनिधिक कीमतों के संबंध में डेटा एकत्र करने में भी असमर्थ था। इस प्रकार से, आवेदक ने घरेलू उद्योग की लागत पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ने के बाद विधिवत समायोजित करके विचार करते हुए उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है।

14. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के उद्देश्य से, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावों को स्वीकार कर लिया है।

ग. निर्यात कीमत

15. डीजी सिस्टम्स डेटा में सूचित किए गए सीआईएफ मूल्य पर विचार करके संबद्ध वस्तुओं के निर्यात मूल्य की गणना की गई है। आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार समुद्री भाड़ा, हैंडलिंग प्रभार, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और ऋण लागत और कमीशन/ वितरण मार्जिन के संबंध में मूल्य समायोजन किए गए हैं।

घ. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

17. आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष वृद्धि, कीमत कटौती और कीमत ह्रास के परिणामस्वरूप हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदक ने दावा किया है कि पाटित किए गए आयात की प्रतिकूल मात्रा और मूल्य प्रभाव के कारण, नकदी लाभ, लाभ और निवेश पर आय के संबंध में इसके प्रदर्शन में गिरावट आई है। पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने

के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए जांच शुरू करते है, जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

19. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई मेल पतों-jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए जिनकी प्रति adv11-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ /एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे सभी संबंधित दस्तावेज दाखिल कर सकें। इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जानकारी। ऐसी सभी जानकारी इस आरंभिक अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

22. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस आरंभ अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतीकरण इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जांच के लिए अपने अनुरोधों को प्रासंगिक बना सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य पक्षों को उसी का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को नियमित रूप से व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि वे जानकारी के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ट. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम (4)6के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई मेल पतों-jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए जिनकी प्रति adv11-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम की व्याख्या के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेज मांगने की सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त मानी जाएगी जिस दिन इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान मामले में अपने हितों (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट https://dgtr.gov.in पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को नियमित रूप से डीजीटीआर की वेबसाइट (https://dgtr.gov.in/) पर जाने का निर्देश दिया जाता है ताकि उन्हें

संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिस के बारे में जानकारी रहें। यह सुनिश्चित होगा कि संबद्ध जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार संबद्ध जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी से अच्छी तरह अवगत रहें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करता है या जानकारी प्रदान करता है, उसे नियमावली के नियम (2) 7और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के संदर्भ में ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तरों/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है ।

30. प्रश्नावली उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ उसके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को अलग-अलग गोपनीय और अगोपनीय पाठ दाखिल करना आवश्यक है।

31. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/ या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भररहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है ।

34. हितबद्ध पक्षकार आवेदन के अगोपनीयअंश के परिचालन की तारीख के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना या पर्याप्त और पर्याप्त कारण के विवरण के बिना या गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के बिना किया गया कोई भी प्रस्तुतीकरण प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपने प्रस्तुतीकरण/प्रतिक्रिया/जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण ईमेल करें। प्रस्तुतियाँ/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पैरी को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इंकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2024

[Case No. AD(OI)- 07/2024]

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Vitamin- A Palmitate" originating in or exported from China PR, the European Union, and Switzerland-reg.

F. No. 06/07/2024–DGTR.—1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), Piramal Pharma Limited (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "petitioner") has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") seeking imposition of anti-dumping duty on the imports of Vitamin-A Palmitate (hereinafter referred to as the "product under consideration" or the "PUC" or the "subject goods") originating in or exported from China PR, the European Union and Switzerland (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The applicant has alleged that injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

A. Product under consideration

3. The product under consideration for the present investigation is Vitamin-A Palmitate, covering both Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/Gm and Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/Gm in all its strengths and forms, with or without stabilization. Though differing only in concentration, Vitamin-A Palmitate 1.7 MIU/Gm and Vitamin-A Palmitate 1.0 MIU/Gm are product sub-types with the same end uses and are also technically and commercially substitutable.

4. The scope of the PUC does not cover Vitamin-A Palmitate 1.6 MIU/Gm which is used for animal consumption and has different end-uses compared to the PUC.

5. The petitioner has submitted that the PUC is used in a wide variety of intermediate products falling under various sectors, including food, cosmetics, and pharmaceutical industries. The subject goods are generally imported into India under tariff item 29362100 of Schedule I of the Act. However, the PUC has also been imported under tariff items 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, and 29362990 of Schedule I of the Act. The customs classification of the product is indicative only and is not binding on the scope of the product.

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of initiation of the investigation.

B. Like article

7. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods originating in or exported from the subject countries. It has been stated that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the goods imported from the subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, and tariff classification. The applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are treated as 'like article' to the subject goods imported from the subject countries.

C. Domestic industry and standing

8. The application has been filed by Piramal Pharma Limited. The applicant has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India. The applicant has also claimed that it has neither imported the subject goods from any of the subject countries or any other country during the POI nor is related to any of the exporters from the subject countries and importers of the subject goods in India.

9. From the information on record, the applicant accounts for 100% of the domestic production of the like article in India. Accordingly, the applicant *prima facie* constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the petition *prima facie* satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

D. Subject countries

10. The subject countries in the present petition are China PR, European Union and Switzerland.

E. Period of investigation

11. The Authority has considered 1st October 2022 to 30th September 2023 (12 Months) as the period of investigation ("POI"). The period of injury covers the periods from 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, and the POI.

F. Basis of alleged dumping

a. Normal value for China PR

12. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules. In this regard, the applicant has submitted that they were not able to obtain any reliable information for the purpose of the normal value. The applicant has, therefore, proposed to construct the normal value for China PR on the basis of the best available information, having regard to the cost of the production duly adjusted, and with a reasonable margin. The Authority, for the purpose of the initiation of the investigation, has accepted the claim of the applicant in respect of the determination of the normal value for China PR.

b. Normal value for European Union and Switzerland

13. The applicant has claimed that efforts were made to get evidence of the price of the product concerned in the domestic markets of the European Union and Switzerland. However, no reasonable, authentic transaction-selling price was available in the domestic markets of European Union and Switzerland. The applicant has further claimed that it was also unable to gather data on the representative prices of the subject goods when exported from the European Union and Switzerland. Thus, the applicant has proposed to construct the normal value for the European Union and Switzerland on the basis of estimates of the cost of production considering the cost of the domestic industry duly adjusted after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

14. The Authority, for the purpose of the initiation of the investigation, has accepted the claims of the applicant in respect of the determination of the normal value for European Union and Switzerland.

G. Export price

15. The export price of the subject goods has been computed by considering the CIF price reported in the DG Systems data. The price adjustments have been made on account of ocean freight, handling charges, ocean insurance, inland freight, bank charges, and credit cost, and commission/distribution margin as claimed by the applicant.

H. Dumping margin

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and significant in respect of the product under consideration from the subject countries.

I. Allegation of Injury and Causal Link

17. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries. The applicant has furnished evidence regarding injury having taken place as a result of absolute and relative increase in the volume of imports of subject goods from the subject countries, price undercutting, and price suppression. The applicant has claimed that because of the adverse volume and price effect of the dumped imports, its performance has deteriorated in respect of cash profit, profit and return on investment. There is sufficient *prima facie* evidence of

material injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

J. Initiation of the Anti-dumping investigation

18. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted, about the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

K. Procedure

19. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

L. Submission of information

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

21. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

22. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned above.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

25. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

M. Time-limit

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

28. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR at www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://dgtr.gov.in/) to stay apprised with further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information. This will ensure that all interested parties to the subject investigation remain well aware of the progress and information pertaining to the subject investigation.

N. Submission of information on a confidential basis

29. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

30. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

31. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as nonconfidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

32. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information that is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. Inspection of Public File

38. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non- confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested parry as non-cooperative.

P. Non-cooperation

39. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA